

लोक शिक्षण संचालनालय  
मध्यप्रदेश

क्र./ शा.शि./ ई./01/2012-13 / 239  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 11/6/12

आयुक्त  
जनसंपर्क,  
बाणगंगा चौराहा, भोपाल।

विषय:- शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय, शिवपुरी में डी0पी0एड0 ( पत्रोपाधि ) एक वर्षीय पाठ्यक्रम तथा डिप्लोमा इन शारीरिक शिक्षा (द्विवर्षीय) पाठ्यक्रम 2012-13 में रिक्त पदों पर प्रवेश हेतु विज्ञापन जारी किये जाने विषयक ।

सदर:-इसकार्यालय का पत्र क्र./शा.शि ई /01/2012-13 /226 भोपाल, दिनांक 07.06.12


ॐ००ॐ

उपरोक्त संदर्भित पत्र के द्वारा शासकीय तात्या टोपे राज्य शारीरिक शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय, शिवपुरी में संचालित डी0पी0एड0 ( पत्रोपाधि ) एक वर्षीय पाठ्यक्रम तथा डिप्लोमा इन शारीरिक शिक्षा (द्विवर्षीय) पाठ्यक्रम 2012-13 में रिक्त पदों पर प्रवेश हेतु हेतु चयन प्रक्रिया शासकीय शास0 तात्या टोपे राज्य शारीरिक शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय, शिवपुरी में दिनांक 05 से 07 जुलाई 2012 तक आयोजित की गई है।

चयन प्रक्रिया हेतु विज्ञापन को पुनः प्रदेश के प्रमुख समाचार पत्रों में निःशुल्क शीघ्र प्रकाशित कराये जाने के लिये विज्ञापन क्रमांक/शा.शि./ ई./01/2012-13 /230 दिनांक 7.6.12 प्रेषित किया गया था , प्रेषित विज्ञापन के पु.क्र. 04 पर चयन तिथि 5 से 7 जुलाई 2012 के स्थान पर त्रुटिवश 5 से 7 जून 2012 अंकित हो गई है।

अनुरोध है कि यदि चयन प्रक्रिया का विज्ञापन पूर्व में प्रकाशित समाचार पत्रों में संलग्न संशोधित सूचना प्रकाशित करने का कष्ट करे।

संलग्न- जारी किये जाने वाले संशोधन सूचना की 03 प्रतियाँ ।  
आयुक्त द्वारा अनुमोदित



(शेखर वर्मा)

सहायक संचालक  
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

क्र./ शा.शि./ ई./01/2012-13 / 240  
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 24.04.12 11/6/12

1. प्रमुख सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
  2. आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, सतपुडा भवन, भोपाल ।
  3. कलेक्टर, शिवपुरी (म.प्र. ) ।
  4. समस्त संभागीय सयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश ।
  5. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, मध्यप्रदेश ।
  6. प्राचार्य, शास0 तात्या टोपे राज्य शारीरिक शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय, शिवपुरी ।
  7. प्राचार्य, शासकीय आवासीय खेलकूद संस्था, सीहोर ।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



सहायक संचालक  
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

लोक शिक्षण संचालनालय

मध्य प्रदेश

क्र-शा0शि0/ई/01/प्रवेश/2012-13/241

भोपाल, दिनांक 11/6/12

### चयन प्रक्रिया की संशोधित तिथि की सूचना

लोक शिक्षण संचालनालय म0प्र0 भोपाल के क्रमांक शा0शि0/ई/01/प्रवेश/2012-13 /230 भोपाल दिनांक 07.06.12 द्वारा शासकीय तात्याटोपे राज्य शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण महाविद्यालय, शिवपुरी में सत्र 2012-13 में डिप्लोमा इन शारीरिक शिक्षा दो वर्षीय पाठ्यक्रम एवं डी.पी.एड. एक वर्षीय पाठ्यक्रम में विभागीय एवं विभागेत्तर उम्मीदवारों के प्रवेश चयन प्रक्रिया हेतु जारी विज्ञापन में चयन तिथि 5 से 7 जून 2012 अंकित है के स्थान पर चयन प्रक्रिया 5 से 7 जुलाई 2012 तक आयोजित होगी। शेष अहर्ताए, आवेदन प्रक्रिया, चयन प्रक्रिया एवं मापदण्ड आदि यथावत रहेंगे।

विज्ञापन की प्रति विस्तृत निर्देशो सहित स्कूल शिक्षा विभाग के एजुकेशन पोर्टल की वेब साईट [www.educationportal.mp.gov.in](http://www.educationportal.mp.gov.in) पर भी उपलब्ध है।



(शेखर वर्मा)

सहायक संचालक  
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

# लोक शिक्षण संचालनालय

## मध्यप्रदेश

क्रमांक-शा0शि0/ई /01/प्रवेश/2012-13/

भोपाल, दिनांक 11.06.2012

### विज्ञापन एवं चयन प्रक्रिया की संशोधित तिथि की सूचना

मध्यप्रदेश शासन,स्कूल शिक्षा विभाग के अधीन संचालित शासकीय तात्याटोपे राज्य शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय,शिवपुरी में सत्र 2012-13 में डिप्लोमा इन शारीरिक शिक्षा (माध्यमिक शिक्षा मण्डल म0प्र0 से संबद्ध) एवं डी.पी.एड. (पत्रोपाधि) (जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर से संबद्ध) पाठ्यक्रम में क्रमशः दो वर्षीय एवं एक वर्षीय पाठ्यक्रम में विभागीय एवं विभागेत्तर उम्मीदवारों के प्रवेश हेतु निम्नानुसार रिक्त स्थानों हेतु आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं :-

प्रवेश के लिए उपलब्ध रिक्त स्थानों का विवरण:-

स. क.	पाठ्यक्रम का नाम	प्रवेश के लिए उपलब्ध कुल रिक्त स्थान	अनारक्षित	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	पिछडा वर्ग
1	डी.पी.एड.विभागीय दो वर्षीय	23	09	04	06	04
2	डी.पी.एड. विभागेत्तर दो वर्षीय	07	00	02	05	00
3	डी.पी.एड. विभागीय एक वर्षीय	19	02	05	07	05
4	डी.पी.एड. विभागेत्तर एक वर्षीय	16	00	05	06	05
	कुल रिक्त स्थान	65	11	16	24	14

किसी श्रेणी के अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की स्थिति में दूरारे श्रेणी के अभ्यर्थियों से निम्न तालिकानुसार स्थान भरे जा सकेंगे अतः सभी वर्गों को अभ्यर्थी प्रवेश हेतु आवेदन कर सकते हैं :-

अनुसूचित जनजाति श्रेणी में स्थान रिक्त होने पर	प्रथमतः अनुसूचित जाति श्रेणी के अभ्यर्थियों से
	द्वितीयः अन्य पिछडा श्रेणी के अभ्यर्थियों से
	तृतीयतः अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों से
अनुसूचित जाति श्रेणी में स्थान रिक्त होने पर	प्रथमतः अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अभ्यर्थियों से
	द्वितीयः अन्य पिछडा श्रेणी के अभ्यर्थियों से
	तृतीयतः अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों से
अन्य पिछडा वर्ग श्रेणी में स्थान रिक्त होने पर	प्रथमतः अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अभ्यर्थियों से
	द्वितीयः अनुसूचित जाति श्रेणी के अभ्यर्थियों से
	तृतीयतः अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों से

(1) विभागीय एवं विभागेत्तर प्रत्याशियों के चयन हेतु आवश्यक अहर्ताएँ:-

1.1 विभागीय रिक्त स्थानों हेतु स्कूल शिक्षा विभाग तथा आदिम जाति कल्याण विभाग में कार्यरत शिक्षकों / शिक्षा कर्मियों एवं सविदा शाला शिक्षकों को (जिनका अध्यापक सवर्ग में संविलियन हो चुका है) ही विभागीय उम्मीदवार मान्य किया जायेगा ।

- 1.2 विभागेत्तर खुली प्रतियोगिता के अंतर्गत म0प्र0 शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश क्र/बीओबी/956/ 95, भोपाल, दिनांक 3-5-95 के अनुसार मध्यप्रदेश के कोई भी प्रत्याशी आवेदन कर सकेंगे ।
- 1.3 डी0पी0एड0(पत्रोपाधि)एक वर्षीय पाठ्यक्रम विभागीय में प्रवेश के लिए म0प्र0 की किसी शासकीय शाला में कार्यरत सहायक शिक्षक/व्यायाम निर्देशक (निम्न वेतनमान) शिक्षाकर्मि एवं संविदा शाला शिक्षक (जिनका अध्यापक संवर्ग में संविलियन हो चुका है) प्रवेश हेतु पात्र होंगे ।
- 1.4 डिप्लोमा इन शारीरिक शिक्षा दो वर्षीय पाठ्यक्रम विभागीय में प्रवेश के लिए म0प्र0 की किसी शासकीय शाला में कार्यरत सहायक शिक्षक / शिक्षा कर्मि / संविदा शाला शिक्षक ही प्रवेश हेतु पात्र होंगे ।
- 1.5 विभागीय प्रत्याशियों हेतु ऊपर उल्लेखित पदों पर दिनांक 1-7-2012 को न्यूनतम सेवाकाल (दोनों पाठ्यक्रमों हेतु) कम से कम तीन वर्ष होना अनिवार्य है ।
- 1.6 डी0पी0एड0 (पत्रोपाधि) एक वर्षीय पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए शैक्षणिक योग्यता स्नातक तथा डिप्लोमा इन शारीरिक शिक्षा दो वर्षीय पाठ्यक्रम के लिए 10+2 (हायर सैकेण्डरी) न्यूनतम 45 प्रतिशत अंको के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य है । यह योग्यता विभागीय तथा विभागेत्तर प्रत्याशियों के लिये है ।
- 1.7 विभागीय दोनों पाठ्यक्रमों में न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा अधिकतम आयु 40 वर्ष हो एवं राक्षमतापूर्वक प्रशिक्षण पूर्ण करने में असमर्थ न हो । जबकि विभागेत्तर प्रत्याशियों हेतु आयु दिनांक 1-1-2012 को न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम 30 वर्ष होनी चाहिए ।
- 1.8 प्रत्याशियों को शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए तथा व्यायाम, खेलकूद एवं शारीरिक गतिविधियों में रुचि होना वांछनीय है ।

(2) आवेदन की प्रक्रिया :-

- 2.1 विभागीय उम्मीदवार प्रत्येक जिले से दो-दो होना अनिवार्यतः होगी ।
- 2.2 विभागीय उम्मीदवार जो उपरोक्तानुसार योग्यताधारी हों और शारीरिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ हों, अपने आवेदन निर्धारित आवेदन प्रारूप में संचालक लोक शिक्षण मध्यप्रदेश, भोपाल के नाम से सम्पूर्ण जानकारी मय अभिलेखों की छायाप्रतियों सहित 21 जून 2012 तक संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में उचित माध्यम से जमा करायेंगे । समस्त जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय ऐसे आवेदन पत्रों को सूचीबद्ध कर अनुशांसा सहित दिनांक 25 जून, 2012 तक वाहक के हस्ते सीधे प्राचार्य, शा0 तात्याटोपे राज्य शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय, शिवपुरी को अनिवार्य रूप से भेजेंगे । दोनों पाठ्यक्रमों की जानकारी पृथक-पृथक सूची में आवेदक का नाम पद/कार्यरत संस्था पाठ्यक्रम का नाम की जानकारी अंकित कर संबंधितों के आवेदन संलग्न कर शासकीय तात्या टोपे राज्य शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय, शिवपुरी में भेजे जावेंगे । संबंधित विभागीय उम्मीदवार की जन्मतिथि

शासकीय सेवा अभिलेख से प्रमाणित की जायेगी और खेलकूद गतिविधियों के प्रमाणीकरण हेतु प्रमाण-पत्र की प्रतिलिपि संलग्न की जावे।

2.3 विभागेत्तर प्रत्याशी के आवेदन प्राचार्य, तात्या टोपे राज्य शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय, शिवपुरी के नाम से भेजने की अंतिम तिथी 25 जून, 2012 हैं। बिलंब से प्राप्त आवेदनो पर विचार नहीं किया जायेगा।

(3) प्रमाण-पत्र जो आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा:-

3.1 उच्चतर माध्यमिक तथा स्नातक/स्नातकोत्तर परीक्षाओं के प्रमाण-पत्र तथा अंक सूचियों की स्व-प्रमाणित प्रतिलिपियाँ।

3.2 विभागेत्तर प्रत्याशियों हेतु म0प्र0 का मूल निवासी होना आवश्यक है। कलेक्टर या उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र मान्य होगा।

3.3 प्रमाण पत्र फर्जी होने पर कानूनी कार्यवाही की जावेगी तथा आवेदन निरस्त कर दिया जावेगा।

3.4 खेलकूद के संबंध में राष्ट्रीय/राज्य/जिला (क्षेत्रीय) स्तरीय प्रतियोगिताओ, विश्वविद्यालय तथा संस्थागत प्रतियोगिताओं में प्रावीण्य या भाग लेने संबंधी प्रमाण-पत्र की प्रमाणित प्रतियाँ

3.5 आवेदन पर स्वयं का पासपोर्टसाइज का नवीनतम फोटो चरपा करना अनिवार्य होगा। एक फोटो साक्षात्कार के समय पृथक से प्रस्तुत करना होगा।

(4) चयन प्रक्रिया एवं मापदण्ड

विभागीय/विभागेत्तर उम्मीदवारों का चयन उनके द्वारा शारीरिक क्षमता, लिखित परीक्षा एवं खेलकूद संबंधी सर्टिफिकेट हेतु निर्धारित अंको में से प्राप्त अंकों के योग के आधार पर किया जायेगा।

प्रवेश के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् से अनुमोदित चयन प्रक्रिया निर्धारित रहेगी जो निम्नांकित हैं :-

(अ) निम्नांकित प्राप्तांकों के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी :

1	शारीरिक क्षमता परीक्षा	40 अंक
2	लिखित परीक्षा (थ्योरी)	40 अंक
3	खेलकूद संबंधी प्रमाण-पत्र	20 अंक

(ब) 'अ' (1) में उल्लेखित शारीरिक क्षमता परीक्षा निम्नानुसार रहेगी

1.	100 मीटर दौड़	04 अंक
2.	800 मीटर दौड़	05 अंक
3.	गोला फेंक(एल0बी0एस0)	05 अंक
4.	उंची कूद	05 अंक
5.	लम्बी कूद	05 अंक
6.	दीर्घ क्षेत्रीय खेल कौशल	08 अंक
7.	लघु क्षेत्रीय खेल कौशल	08 अंक
कुल योग:-		40 अंक

(स) 'अ' (3) में उल्लेखित खेलकूद प्रमाण-पत्र का वर्गीकरण एवं निर्धारित अंक

स0क्र0	प्रतियोगिता का स्तर	प्रथम	द्वितीय	तृतीय	प्रतिभागी
1	राष्ट्रीय	20	18	16	12
2	राज्य	12	10	08	06
3	जिला	06	04	02	01

खेलकूद प्रमाण-पत्रों के कुल अधिकतम अंक 20 होंगे जो किसी एक अधिकतम स्तर के प्रमाण-पत्र हेतु दिये जावेंगे ।

- (द) चयन प्रक्रिया में सबसे पहले मूल प्रमाण-पत्रों एवं अभिलेखों की जांच के उपरांत शारीरिक क्षमता परीक्षा देनी होगी उसके बाद लिखित परीक्षा देनी होगी । शारीरिक क्षमता परीक्षा सफलता पूर्वक कम से कम 33 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा । शारीरिक क्षमता परीक्षा में असफल होने पर लिखित परीक्षा में सम्मिलित नहीं किया जावेगा अतः लिखित परीक्षा अमान्य मानी जावेगी ।
- (घ) दीर्घ/लघु क्षेत्रीय खेल कौशल का परीक्षण प्रतियोगी द्वारा दर्शाये गये प्रमाण-पत्रों के अनुसार किया जावेगा । दीर्घ क्षेत्रीय एवं लघु क्षेत्रीय खेलों हेतु एक-एक खेल का नाम आवेदन पत्र में लिखा जाना आवश्यक होगा ।
- (ङ) महाविद्यालय में प्रवेश हेतु निर्धारित आरक्षण नियमों का पालन किया जावेगा ।
- (च) आरक्षण पदों पर उम्मीदवार नही होने पर प्राथमिकता व मेरिट वरिष्ठता सूची के आधार पर प्रतियोगी सूची से रिक्त पदों की पूर्ति की जावेगी ।
- (छ) चयन / प्रवेश में विवाद की स्थिति में आयुक्त लोक शिक्षण का निर्णय अंतिम होगा ।
- (5) विभागीय/विभागेत्तर उम्मीदवारों की लिखित परीक्षा तथा शारीरिक क्षमता परीक्षा का स्थल/तिथियां निम्नानुसार रहेंगी :-

स.क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	चयन स्थल	चयन तिथि
1	डी पी एड (पत्रोपाधि) एक वर्षीय पाठ्यक्रम	तात्या टोपे राज्य शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण महाविद्यालय शिवपुरी	05 से 07 जूलाई, 2012
2	डिप्लोमा इन शारीरिक शिक्षा (द्विवर्षीय) पाठ्यक्रम	-तदैव-	05 से 07 जूलाई, 2012

आयुक्त द्वारा अनुमोदित

संचालक  
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

## आवेदन का प्रारूप

1. जिस पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने है उसका नाम :- .....
2. अभ्यर्थी का पूरा नाम :- .....
3. पिता का नाम :- .....
4. माता का नाम :- .....
5. जन्म तिथि ( अंको मे )..... (शब्दो मे).....
6. जाति (सामा10 / अ0जा0 / अ0ज0जा / पि0वर्ग).....
7. आवेदक का पद एवं कार्यरत सरस्था ( विभागीय प्रत्याशियों हेतु ):- .....
8. वर्तमान पद पर नियुक्ति दिनांक ( विभागीय प्रत्याशियों हेतु ):- .....
9. अध्यापक संवर्ग में संविलियन दिनांक ( विभागीय प्रत्याशियों हेतु ):- .....
10. स्थायी पता :- .....
11. पत्र व्यवहार का पता :- .....
12. सम्पर्क हेतु दूरभाष क्रमांक :- .....
13. शैक्षणिक योग्यता :-

नवीनतम  
पासपोर्ट साइज  
का फोटो  
राजपत्रित  
अधिकारी द्वारा  
प्रमाणीकरण  
किया हुआ ।

उत्तीर्ण का नाम	परीक्षा	वर्ष	बोर्ड / विश्वविद्यालय का नाम	श्रेणी	विषय	प्राप्तांकों का प्रतिशत

### 14. खेल प्रमाण-पत्र :-

स0क्र0	प्रतियोगिता का स्तर	खेल का नाम	आयोजक	स्थल	वर्ष	प्रतियोगिता मे स्थान प्रथम / द्वितीय / तृतीय
1	2	3	4	5	6	7
1.	राष्ट्रीय					
2.	राज्य					
3.	जिला					

15. दीर्घ / लघु क्षेत्रीय खेल कौशल - (इन में एक एक खेल का नाम अंकित करे जिसमें चयन प्रक्रिया के दौरान सम्मिलित होंगे।)

1. दीर्घ क्षेत्रीय खेल का नाम :- .....
- (क्रिकेट, फुटबाल, हॉकी, हेण्डबाल, बार्केट बाल)
2. लघु क्षेत्रीय खेल का नाम :- .....
- (कबड्डी, खो-खो, बैडमिन्टन, वालीबाल, टेबिल टेनिस)

स्थान:-

दिनांक:-

( आवेदक के हस्ताक्षर )